

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 40/16

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री कैलाश पुंगलिया पुत्र स्व. श्री नवलकिशोर (खाद्य कारोबारकर्ता)
(एफबीओ/मालिक) फर्म एन.पी. रिफोइल एण्ड प्रोटीन्स, एफ-84 (बी) 85,
रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डोर, जोधपुर निवासी बी-71, नर्सिंग विहार, लाल
सागर, जोधपुर।
2. श्री नवल किशोर पुंगलिया (मालिक) मैसर्स एन.पी. रिफोइल एण्ड प्रोटीन्स,
एफ-84 (बी) 85, रिको इण्डस्ट्रीयल, एरिया, मण्डोर, जोधपुर निवासी पाली
बाजार, महामंदिर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.09.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स एन.पी. रिफोइल एण्ड प्रोटीन्स एफ-84 (बी) 85, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डोर, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (पोस्टमास्टर) के 46 पैक टिन (प्रत्येक वजनी 15 लीटर) आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (पोस्टमास्टर) के 46 पैक टिन (प्रत्येक वजनी 15 लीटर) में से एक टिन में साइड में एक छेद कर एक साफ, सूखी एवं खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना संख्या ईई-620 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 152/- नगद देकर 1600 ग्राम खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (पोस्टमास्टर) की 4 कांच की बोतलों बांधकर चार भागों में बांटा चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर ईई-620 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर रिलप ईई-620 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेंदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे रिलप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना ईई-620 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की। जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया। उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि रिफाईण्ड ग्राउण्डनट ऑयल (पोस्टमास्टर) 16ग्राम तेल को 400 ग्राम चार नमूना कांच की बोतल अलग-अलग 2-2 भागों में ईई-620 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एल.एस. 678/एक्ट/2015/683 दिनांक 30.09.2015 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जाँच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी-324 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी।
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने नोटिस तामिल होने व सूचित होने के बावजूद अपना जवाब पेश नहीं किया तथा बार-बार नोटिस तामिली के भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए।
4. विवेचन के पश्चात पाया की अप्रार्थीगण के पास पब्लिक हैल्थ लेबोर्ट्री जोधपुर की फूड एनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 30.09.2015 के विरुद्ध अप्रार्थी अपील कर सकते थे। परन्तु बावजूद सूचनार्थ अप्रार्थीगण ने निर्धारित तीस दिवस की अवधि में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में नहीं की। अतः अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाता है। इस स्थिती में मैं फूड



ऐनालिसिस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर शास्ती रूपये कमशः (1) 8000 अक्षरे रूपये व (2) पर रूपये 8000 अक्षरे आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25/5/2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
दिनांक (शहर) जोधपुर
25/5/2017

क्रमांक:-जांच/2017/1284-1287

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोधपुर।
03. श्री कैलाश पुंगलिया पुत्र स्व. श्री नवलकिशोर (खाद्य कारोबारकर्ता) (एफबीओ/मालिक) फर्म एन.पी. रिफोइल एण्ड प्रोटीन्स, एफ-84 (बी) 85, अधिकारी, जोधपुर रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डोर, जोधपुर निवासी बी-71, नर्सिंग विहार, लाल सागर, जोधपुर।
04. श्री नवल किशोर पुंगलिया (मालिक) मैसर्स एन.पी. रिफोइल एण्ड प्रोटीन्स, एफ-84 (बी) 85, रिको इण्डस्ट्रीयल, एरिया, मण्डोर, जोधपुर निवासी पाली बाजार, महामंदिर, जोधपुर।



(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
दिनांक (शहर) जोधपुर
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर